आलोक मेहता

नरसंहार की सजा के दोहरे मानदंड

दाऊद की तरह वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण की कोशिश नहीं हुई

भारत सरकार के नेता और राजनयिक हर तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोहरे मानदंड पर विलाप करते रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों को बेनकाब करने और नैतिक दबाव बनाने में भारत का कोई मानी नहीं। इसी तरह इराक पर अमेरिकी हमले की तीखी भर्त्सना करने से बचने का आधार यह बताते हैं कि सद्दाम हुसैन भी अपराधियों की तरह निर्दोष लोगों की हत्या के लिए उत्तरदायी है तथा उसे दंडित करने के लिए अमेरिकी संसद ने अपने राष्ट्रपति को आक्रमण तक का अधिकार दिया हुआ है। निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याओं के आरोप में सद्दाम पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका किस अंतर्राष्ट्रीय कानून या नैतिकता की परवाह करता है? लेकिन दोहरे मानदंडों का दुःखड़ा सुनाने वाले भारतीय नेताओं के हाथ-पैर किसने बांध रखे हैं? अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड को 'प्रयोगधर्मी साजिश' अथवा गड़बड़ी से भोपाल में 18 वर्ष पहले सिर्फ कुछ घंटों के दौरान कम से कम 16 हजार निर्दोष भारतीय मारे गए तथा लगभग दो लाख लोग घायल हुए। जहरीली गैस से प्रभावित हजारों लोगों का जीवन आज तक सामान्य नहीं हो सका है। लापरवाही से आपराधिक मानव हत्या करने, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने तथा जहरीले पदार्थों के लापरवाही से उपयोग के दोषी वारेन एंडरसन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 92, 120बी, 278, 304, 426 और 429 के तहत गंभीर आपराधिक प्रकरण के बावजूद न केवल भारत सरकार ने उसे भारत से जाने दिया, वरन आज तक उसे प्रत्यर्पण समझौते के अंतर्गत अमेरिका से वापस लाने के लिए गंभीरता से कानूनी और राजनीतिक दबाव नहीं बनाए। भारतीय संसद की आश्वासन समिति ने हाल में अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि सरकार ने हत्यारे एंडरसन के प्रत्यर्पण और भारत में उसे कानूनी आधार पर दंडित कराने के लिए पूरी तरह ढिलाई और लापरवाही का रुख अपनाया तथा गंभीरता से कोई प्रयास नहीं किए। इस मुद्दे पर 18 वर्षों के दौरान संसद में दिए गए आश्वासनों को पूरा न किया जाना भी जनता के साथ धोखा ही कहा जाएगा। रिपोर्ट से तो यह रहस्योद्घाटन भी होता है कि जो विदेश मंत्रालय पाकिस्तान या खाड़ी के देशों में भाग चुके बॉस दुर्दांत अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए बड़े-बड़े बयान और करोड़ों रुपये खर्च कराता है उसने हजारों लोगों को जान लेने वाले मामले के आरोपी एंडरसन की वापसी के लिए अमेरिकी सरकार से 'विनम्र प्रार्थना' तक नहीं की है।

इराक के पास रासायनिक तथा जहरीली गैस के हथियार होने की आशंका के नाम पर अमेरिका ने इराक पर हमला कर पूरी दुनिया को हिला दिया है लेकिन जिस अमेरिकी कंपनी ने जहरीली गैस से हजारों लोगों को मार दिया और कंपनी प्रमुख वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी के लिए भोपाल के मुख्य न्यायाधीश ने 10 अप्रैल, 1992 से गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है, फिर भी भारतीय विदेश मंत्रालय फाइलें इधर से उधर घुमा रहा है। सी.बी.आई. ने एंडरसन के प्रत्यर्पण का आग्रह करने वाला पत्र 23 सितंबर, 1993 को भेजा था। अमेरिकी आकाओं को सदा प्रसन्न रखने की कोशिश करने वाले भारतीय विदेश सेवा के चतुर अफसरों ने पहले तो सारे दस्तावेज सी.बी.आई. से मंगवा लिए फिर एक फाइल विधि और न्याय मंत्रालय की तरफ बढ़ाते हुए अपनी ओर से यह दलील दी कि भोपाल में हुए गैस कांड के समय एंडरसन वहां मौजूद नहीं था। अब जनरल मुशर्रफ या जॉर्ज बुश भी तो यही तर्क दे सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम जैसे कुख्यात अपराधी और आतंकवादी संगठनों के सरगना भी तो भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं के समय स्वयं मौजूद नहीं थे। फिर किसी आरोप में उनका प्रत्यर्पण कैसे हो सकता है? गैस कांड के समय एंडरसन भोपाल में उपस्थित भले न रहा हो लेकिन उसे यह तो मालूम था ही कि यूनियन कार्बाइड में उपयोग की जा रही जहरीली गैस का रिसाव होने के क्या परिणाम हो सकते हैं? भारत में तो इस आशंका को भी निर्मूल नहीं माना जाता कि अमेरिकी कंपनियां अपने हथियारों, प्राणघातक रसायनों और गैसों के सारे प्रयोग भारत जैसे विकासशील देशों में करती हैं। भारत के महाधिवक्ता सोली सोराबजी ने तो बहुत पहले सरकार को यह सलाह भी दी थी कि वारेन एंडरसन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत दंडित किया जाना चाहिए लेकिन विदेश मंत्रालय तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और अपने महाधिवक्ता की सलाह को टालते रहना ही उचित समझता रहा। दबाव बढ़ने पर विदेश मंत्रालय ने अपने वाशिंगटन स्थित दूतावास से कहा कि वह इस मामले में किसी अमेरिकी कानूनी फर्म की सहायता लेने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग से सलाह ले। जो अमेरिका अपने देश के किसी कुत्ते तक की जान बचाने के लिए पचास तरह के कानूनी पेंच डाल सकता है वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रमुख अधिकारी को भारत भेजकर दंडित करवाने के लिए सही सलाह क्यों देगा? बहरहाल, कागजी खानापूर्ति करके एक अमेरिकी कंपनी को 15 हजार डालर चढ़ाए गए। संसद की आश्वासन समिति को मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिकी कानूनी कंपनी ने ऐसी पचीसों जानकारियां भारत सरकार से मांगीं, जिससे किसी तरह यह साबित हो जाए कि 16 हजार लोगों की मृत्यु के लिए 'बेचारे' एंडरसन को दोषी न ठहराया जा सके। यही कारण है कि एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए न्यूयार्क में दाखिल भारत सरकार की एक प्रार्थना को फेडरल जज ने पिछले दिनों ठुकरा दिया। इस परिस्थिति में तेलुगुदेशम के सांसद एस. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली आश्वासन समिति की यह धारणा निश्चित रूप से सही है कि भारत सरकार हत्यारे एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए कतई गंभीर नहीं है। भारतीय विदेश और प्रशासनिक सेवाओं के आला अफसर नेताओं को पाठ पढ़ाने में सफल रहते हैं कि गैस कांड के लिए किसी अमेरिकी कंपनी के अधिकारी को भारत में दंड मिलने के बाद अमेरिकी कंपनियां भारत में पूंजी लगाने में हिचकिचाएंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत नेताओं और अफसरों को खुश करने के लिए करोड़ों डालर खर्च करती हैं। नेता किसी पार्टी के हों, उनके नाम पर देश के बाहर पैसा जमा करवाने में उन्हें प्रसन्नता ही होती है। संभव है कि मरणोपरांत उन खातों में जमा राशि भी संबंधित देश के खजाने में पहुंच जाए।

तेलुगुदेशम के सांसद एस. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली आश्वासन समिति की यह धारणा निश्चित रूप से सही है कि भारत सरकार हत्यारे एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए कतई गंभीर नहीं है।

अमेरिकी नेताओं, राजनयिकों, अधिकारियों, कार्पोरेट कंपनियों को खुश करने के लिए इस समय भारत में नेताओं और अफसरों का एक बड़ा वर्ग सक्रिय है। इसी वर्ग ने नरसंहार, आक्रमण और मुनाफे के दोहरे मानदंड अपना रखे हैं। उनके लिए कानून और नैतिकता का कोई महत्व नहीं है। इराक पर आक्रमण के बाद मिलने वाले ठेकों और इराकी तेल से अमेरिका को होने वाले अरबों डालर के मुनाफे के कुएं से मिलने वाली कुछ बूंदों के टपकने की कल्पना से ही वे अभिभूत हैं। इसलिए भोपाल कांड में हुए नरसंहार के हत्यारे को सजा दिलवाने की चिंता में वे अपनी नींद खराब नहीं करना चाहते। ●